

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत पात्र परिवारों की तैयार की गयी स्थाई पात्रता सूची में से वरीयता के अनुसार पात्र परिवारों को आवास आवंटित कर मु० 1.20 लाख रू० की धनराशि दी जाती है एवं मनरेगा से 90 दिवस का रोजगार व किसी भी योजना से शौचालय निर्माण का भी प्राविधान है।

1-वर्ष 2018-19 का लक्ष्य -9704

2-आवंटित आवास- 9704

3-पूर्ण आवास-9524

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा एवं विशेष कठिनाई से आच्छादित बेघर जीर्ण-शीर्ण आवास वाले और कच्चे घरों में रह रहे गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लागू की गयी है। इस योजना में प्राकृतिक आपदा, जपानीज इन्सेफेलाइटिस (जे०ई०)/ए०ई०एस०, कु रोग, कालाजार, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के आवास विहीन परिवारों को लाभान्वित किया जाता है। लाभार्थ को मनरेगा से 90 दिवस का रोजगार व किसी भी योजना से शौचालय निर्माण का भी प्राविधान है।

1-वर्ष 2018-19 में लक्ष्य-12

2-स्वीकृत- 12

3-पूर्ण -12

जनपद स्तर पर अधिकारी का नाम - राजेन् कुमार ीवास

पद नाम:- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम विकास अभिकरण,हरदोई।

मोबाइल नं०-9454465360